रजिस्टर्ड/ईमेल

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभंद्र

पत्रांक– 2061 /सोनभद्र/33, दिनांक, रावर्ट्सगंज, मार्च 08 ,2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड द्वितीय,
वाराणसी, 220के0वी0 सब स्टेशन
तलवल गाजीपुर 233001

विषय– **उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 वाराणसी द्वारा 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डी0सी0 ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित (रेनुकूट वन प्रभाग की 98.28हे0, ओबरा 113. 048हे0, सोनभद्र–15.79हे0, मीरजापुर 37.51 हे0 एवं कैमूर वन्य जीव वन प्रभाग मीरजापुर की 54. 652हे0) प्रभावित कुल 319.28हे0 आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ– **कर्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–1698/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/ ट्रांस/32650/2018 दिनांक 14.01. 2021 एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर का पृष्ठांकन पत्र संख्या–2966/मी0/33 दिनांक 15.01.2021।**

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–1698/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/ ट्रांस/32650/2018 दिनांक 14.01.2021 जो मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर को सम्बोधित एवं आप सहित अधोहस्ताक्षरी एवं अन्य को पृष्ठांकित है, के द्वारा सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत विषयगत प्रस्ताव में छः बिन्दुओं की आपत्तिया/कमियां अंकित कर प्रस्ताव वापस कर दिया गया था, जिस क्रम में आपसे इस कार्यालय के पत्रांक– 1724/सो0/33 दिनांक 25.01.2021 द्वारा लगाई गयी आपत्तियों/कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव पांच प्रतियों में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। उक्त के क्रम में आपके कार्यालय पत्रांक– 244 वि0प्रे0खं0 (गा)/दिनांक 15.02.2021 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर प्रेषित किया गया है, जिसके बिन्दू संख्या– 5 व 6 में दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में आपको अवगत कराना है कि बिन्दू संख्या–6 के सम्बन्ध में निम्नानुसार बचनवद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उल्लंघन के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की धनराशि की देयता के सम्बन्ध में लगाई जाने वाली शर्तो के अनुपालन सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र

"प्रमाणित किया जाला है कि सोनभद्र वन प्रभाग के चुर्क, राबर्ट्सगंज रेंज के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 वाराणसी) को भारत सरकार के पत्र संख्या– 08–197/91–एफ0सी0 दिनांक 01.1.1993 एवं इसके क्रम में संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन का आदेश संख्या– जी आई 444/14–2–93–707/89 दिनांक 08/23 फरवरी 1994 द्वारा 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 15.79 हे0 वन भूमि 20 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी, जिसकी लीज अवधि दिनांक 22.02.2014 को समाप्त हो चुकी है। उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 वाराणसी को उक्त लीज पर दी गयी 15.79 हे0 वनभूमि को पुनः 30 वर्षो के लीज पर किये जाने की आवश्यकता है। लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार /उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उल्लंघन के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की धनराशि की देयता सम्बन्धी जो भी शर्ते लगाई जायेगी, उसका अनुपालन करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।"

अतः बिन्दू संख्या–6 में लगाई गयी आपत्ति के निराकरण हेतु उपरोक्तानुसार वचनबद्धता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें, ताकि अग्रेत्तर कार्यावाही की जा सके।

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

O/C